

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

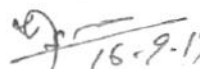
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1817 /2019 दिनांक : 17.09.2019

श्रीमती लतिका दीपक पाराशर (RJ0634), विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा को दिनांक 09.10.2019 से 11.10.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.10.2019 से 08.10.2019 एवं 12.10.2019 से 13.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती पाराशर की अनुपस्थिति में अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), कोटा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

 16.9.19

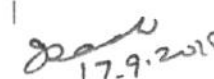
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/01/2011/ 8773

दिनांक : 17.09.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 2337 दिनांक 06.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती लतिका दीपक पाराशर (RJ0634), विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा ।
4. विशिष्ट अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), कोटा ।
5. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण), कोटा ।

 17.9.2019
सहायक रजिस्ट्रार